न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/टीए/7634/06/जयपुर

1. शैतान
2. देवीलाल
3. मदन

पुत्रान भैरू, जाति मीणा निवासी कांचरोदा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

............अपीलार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कानाराम जाति कुम्हार, निवासी कांचरोदा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

............रेस्पो0/वादी

2. रूडा
3. छोटू
4. गोपाल

पुत्रान नंदा

5. जगदीश प्रसाद
6. सीताराम

पुत्रान रामलाल

7. रामलाल पुत्र हरबक्स
8. जगदीश प्रसाद
9. अमरचन्द

पुत्रान लादू

10. छीतर
11. रामू
12. तूफान

पुत्रान भैरू

समस्त जाति मीणा, निवासी कांचरोदा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

............तरतीबी रेस्पो0/प्रतिवादीगण

खण्ड–पीठ (कैम्प जयपुर)

श्री प्रमिलकुमार माथुर, सदस्य

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री नरेशकुमार जैन, एडवोकेट, वास्ते अपीलार्थीगण

श्री जी. बाढदार, एडवोकेट, वास्ते रेस्पोडेंन्टस्

दिनांक : 14.10.11

निर्णय

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 33/2006 में पारित निर्णय दिनांक 31–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील मीमो के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी–प्रत्यर्थी संख्या–1 मोहनलाल द्वारा एक दावा वास्ते अधिकार घोषणा व निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, साम्भरलेक (परीक्षण न्यायालय) में इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 332/1/1 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा अर्थात 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काबिज है और शेष दक्षिण भाग की भूमि पर हरबक्स पुत्र बक्सा काबिज है। उक्त 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले ही दिनांक 11–07–1955 को नारायण, लादू व भैरूं से क्रय की है। दावे के प्रतिवादी संख्या 1 से 6, जो वर्तमान द्वितीय अपील में तरतीबी प्रत्यर्थी 2 से 7 हैं, हरबक्स के उत्तराधिकारी है तथा प्रतिवादीगण 7 से 14 जो कि वर्तमान अपील में अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोण्डेण्ट्स 8 से 12 हैं, बेचान कर्ता नारायण, लादू एवं भैरूं के उत्तराधिकारी हैं। उक्त दावे में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया अपितु सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आर्डर 7 नियम 11 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी–प्रत्यर्थी का दावा दिनांक 30–01–2006 को खारिज कर दिया गया। इस आदेश दिनांक 30–01–2006 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) में प्रस्तुत की गयी। उक्त प्रथम अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31–10–2006 द्वारा स्वीकार किया गया और प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिपेषित किया गया। इस निर्णय दिनांक 31–10–2006 के विरूद्ध ही प्रतिवादीगण–अपीलटगण द्वारा हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। हस्तगत द्वितीय अपील में अपीलान्ट द्वारा जो आधार लिये गये हैं, तदनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरन्दाज कर दिया गया है कि वादी मोहनलाल द्वारा जिस भूमि के समबनध में घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया है वह राजस्व रिकॉर्ड में अनुसूचितजनजाति के खातेदारान के नाम दर्ज है और वादी सवर्ण जाति का होने से यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों से वर्जित होने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा जिस कथित बेचान दिनांक 11–07–1955 को आधार बनाया गया है वह अपंजीकृत दस्तावेज है और अपंजीकृत बेचानपत्र के आधार पर वादी घोषणात्मक दावा नहीं ला सकता है। किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्यात्मक स्थिति पर गौर किये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट पक्ष की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री नरेशकुमार जैन ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वादी–प्रत्यर्थी जिस दस्तावेज का सहारा लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व विवादित भूमि क्रय करने की बात करता है, वह एक अपंजीकृत दस्तावेज होने से उसके आधार पर घोष्णात्मक दावा नहीं चल सकता है। इस तर्क के समर्थन में विद्वान श्री जैन द्वारा 1984 RRD 227, & 230, 1989 RRD 750 और 1992 RRD 414 & 421 के न्याय दृष्टान्तों का सहारा लिया गया है। इसी प्रकार 2008 (3) DNJ 1343 Raj, और 2003 (1) DNJ 107 SC के न्याय दृष्टान्तों का सहारा लेते हुये श्री जैन का तर्क है कि जब दावा विधि से वर्जित हो तो उसमें जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है अपितु आर्ड़र 7 नियम 11 के तहत दावा खारिज किया जा सकता है और ऐसा करते समय परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी है। इसके अलावा विद्वान श्री जैन ने यह भी तर्क किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते हुये रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 छोटू की मृत्यु हो चुकी थी किन्तु अपीलान्ट मोहनलाल द्वारा

उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया और इस कारण उसकी अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में अबैट हो चुकी थी। इस कारण भी प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

4. जवाबी बहस में प्रत्यर्थी पक्ष की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री ज्ञानेश्वर बाढदार का तर्क है कि वादी–प्रत्यर्थी मोहनलाल द्वारा विवादित भूमि उस समय क्रय की गयी थी जब ना तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था और ना ही धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्तित्व में थी। अतः विक्रयपत्र दिनांक 11–07–1955 को विधि से वर्जित माना जाना परीक्षण न्यायालय की विधिक भूल थी और इस सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित है। खरीद दिनांक 11–07–1955 पर आधारित वादी का दावा सफल होगा या नहीं, यह निर्णय जवाबदावा प्राप्त होने पर तनकियात बना कर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता था। आर्डर 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र के आधार पर दावे को खारिज किया जाना उचित नहीं था। जहां तक रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 छोटू की मृत्यु का प्रश्न है, उसकी मृत्यु की जानकारी प्रथम अपील के दौरान कभी भी रिकॉर्ड पर नहीं आयी थी। प्रथम अपील में छोटू के नाम जारी किया गया सम्मन उसके भतीजे द्वारा प्राप्त किया गया है और उस पर मृत्यु सम्बन्धी कोई जानकारी अंकित नहीं है। वर्तमान अपीलान्टगण द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर जो नोटिस जारी किया गया उसकी तामील के दौरान यह जानकारी सामने आयी कि छोटू की मृत्यु हो चुकी है। अतः यह अभिकथन स्वीकार्य नहीं हो सकता कि छोटू की मृत्यु के कारण प्रथम अपील अबैट हो चुकी थी। वर्तमान में केवल प्रथम अपील न्यायालय के आदेश दिनांक 31–10–2006 के गुणावगुण के आधार पर ही द्वितीय अपील का निर्णय किया जाना हैं और धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व की खरीद होने के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत है और हस्तगत द्वितीय अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6. परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी–अपीलान्टगण द्वारा जो प्रार्थनापत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आर्डर 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत किया गया था, उसमें दो आधार लिये गये थे। प्रथम यह कि विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अनुसूचित जनाजाति के खातेदार के नाम दर्ज होने के कारण स्वर्ण जाति के वादी द्वारा लाया गया घोषणात्मक दावा चलने योग्य नहीं है, क्योकि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वर्ण जाति के किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की विवादित भूमि की खातेदारी नहीं मिल सकती है। द्वितीय आपत्ति यह ली गयी थी कि वादी द्वारा जिस विक्रयपत्र दिनांक 11–07–1955 को आधार बना कर घोषणत्मक दावा प्रस्तुत किया गया है वह अपंजीकृत दस्तावेज है और अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर घोषणात्मक दावा नहीं चल सकता है। अपीलान्ट की तरफ से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 1984 RRD 227 में आर्डर 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के प्रकरण में ही सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 53ए के संदर्भ में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा निम्न प्रकार व्यवस्था दी गयी है:–

"No right in an immovable property is transferred by an agreement to sale and the plaintiff-appellant could

not have sought declaration of his rights only on the basis of such an agreement. **Even if a sale deed was executed by the defendants, no right would have been transferred by the document unless it was registered.** In the case of S.F. Munuswami Gounder Vs. Erusague Grounder (AIR 1975 Madras 25) the **Madras High Court expressed the view that a transferee could not seek a declaration of title on the basis of an unregistered document under the provisions of Section 53A of the Act.** The High Court of Rajasthan in the case of Stoneware Pipe & sanitary Fitting Manufacturing Co. Ltd. Vs. The State of Rajasthan and another (AIR 1972 Rajasthan 83) while examining the provisions of section 53A of the Act held that this section did not give the transferee the right of action for a suit including a so called defensive suit for restoration of possession forcibly taken by the transferor or for injunction. As already mentioned, no sale deed was executed between the plaintiff and the defendants and section 53A of the Act was not attracted. **Even if there had been a sale deed and it was not registered even then according to these two decisions the plaintiff-appellant could not have brought a suit for declaration of his rights or for grant of an injunction..........In the circumstances we find that the plaintiff-appellant's plaint was rightly rejected by the trial court under O.7 R.11 CPC and there is no reason to interfere with the orders of the lower courts."**

चूंकि वर्तमान प्रकरण में भी वादी के घोषणात्मक दावे का आधार एक अपंजीकृत दस्तावेज है, अतः माननीय खण्डपीठ द्वारा उपरोक्त अनुसार दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा आर्ड़र 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में ली गयी आपत्ति के विरूद्ध दिनांक 11–07–1955 के कथित अपंजीकृत खरीद दस्तावेज से वादी को विधि सम्मत आधार उपलब्ध नहीं होता है। अगर उक्त दस्तावेज पंजीकृत होता तो फिर साक्ष्य आदि से इस बिन्दु का परीक्षण किया जा सकता था कि कथित बेचान धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का होने से वादी को कोई अधिकार मिलता है अथवा नहीं। पर चूंकि दस्तारत्तावेज अपंजीकृत है अतः 1984 RRD 227 और उसमें चर्चा किये गये AIR 1975 Madras 25 तथा AIR 1972 Rajasthan 83 में धारित न्याय सिद्धान्तों के अनुसरण में हमारा यह मत है कि कथित अपंजीकृत दस्तावेज दिनांक 11–07–1955 के आधार पर वादी–प्रत्यर्थी घोषणात्मक दावा नहीं ला सकता। वस्तुत उक्त अपंजीकृत दस्तावेज विधिक दृष्टि से "अस्तित्व में नहीं" (non-exist) श्रेणी का है और इस कारण विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावा लाने की

14/10/11

तारीख को मौजूद राजस्व रिकार्ड को ही देखा जावेगा। चूंकि दावा लाने की तारीख को विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात जमाबन्दी सम्वत 2055–58 अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम दर्ज है अतः उक्त दिनांक को प्रभावी धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के कारण ऐसा दावा विधि से वर्जित माना जावेगा।

7. इसी प्रकार विद्वान श्री नरेशकुमार जैन द्वारा अपनी बहस के दौरान 2008 (3) DNJ 1343 Raj, और 2003 (1) DNJ 107 SC के न्याय दृष्टान्तों का सहारा लिया गया है। वस्तुत 2008 (3) DNJ 1343 Raj. में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2003 (1) DNJ 107 SC में सलीमभाई बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त का ही अनुसरण किया गया है। रोहिताशसिंह के उक्त के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–08–2008 के पेरा संख्या 7 व 8 को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

"7. The Hon'ble Supreme Court in *Sleem Bhai & Ors Vs. State of maharashtra, 2003 (1) DNJ (SC) 107,* considered the provisions of the Order 7 Rule 11 C.P.C., and held that filing of written-statement is not necessary to decide the application for rejection of the plaint. Para Nos. 7 to 10 of the aforesaid judgment are reproduced as under:-

> "7. The short common question that arises for consideration in these appeals is, whether an application under Order 7 Rule 11 C.P.C. ought to be decided on the allegations in the plaint and filing of the written statement by the contesting defendant is irrelevant and unnecessary.
>
> 8. Order 7 Rule 11 C.P.C reads as under:-
>
> "11. ***Rejection of plaint.-*** The plaint shall be rejected in the following cases:—
>
> (a) where it does not disclose a cause of action;
>
> *(b)* where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
>
> *(c)* where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
>
> *(d)* where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;
>
> *(e)* where it is not filed in duplicate;
>
> *(f)* where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9;

14/10/11

Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff."

9. A perusal of Order 7 Rule 11 C.P.C. makes it clear that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The trial court can exercise the power under Order 7 Rule 11 C.P.C. at any stage of the suit- before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under Clause (a) of Rule 11 of Order 7 C.P.C., the averments in the plaint are germate; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at this stage, therefore, a direction to file the written statement without deciding the application under Order 7 Rule 11 C.P.C. cannot but be procedural irregularity touching the exercise of jurisdiction by the trial Court. The order, therefore, suffers from nonexercising of the jurisdiction vested in the Court as well as procedural irregularity. The High Court, however, did not advert to these aspects.

10. We are, therefore, of the view that for aforementioned reasons the common order under the challenge is liable to be set aside and we, accordingly, do so. We remit the cases to the trial Court for deciding the application under Order 7 Rule 11 C.P.c. on the basis of the averments in the plaint, after affording an opportunity of being heard to the parties in accordance with Law."

8. The Hon'ble Apex Court in *Saleem Bhai's* case (supra) has categorically held that filing of written-statement is not necessary to decide the application under Order 7 Rule 11 C.P.C for rejection of the plaint."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनुसरित सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टान्त का अनुसरण करते हुये हमारा निष्कर्ष है कि

वादी–प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता कि प्रतिवादीगण द्वारा आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के बजाय अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर उक्त जवाबदावे के माध्यम से ही दावे की पोषणीयता बाबत आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। इस बिन्दु पर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष भी विधि के विपरीत है। आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने और उस पर निर्णय हेतु जवाबदावा प्रस्तुत कराया जाना आवश्यक नहीं हैं

8. जहां तक प्रत्यर्थीगण में से एक प्रत्यर्थी छोटू के निधन पश्चात उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लेने से प्रथम अपील अबैट होने का प्रश्न है, प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष कभी भी छोटू के निधन का तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं आया। वर्तमान में द्वितीय अपील की पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणपत्र अनुसार छोटू की मृत्यु दिनांक 20–05–2006 को अर्थात प्रत्यर्थी मोहनलाल की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन रहते हो चुकी थी। यह वर्तमान प्रत्यर्थी व प्रथम अपील के अपीलार्थी मोहनलाल का दायित्व था कि मृतक छोटू के वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने की कार्यवाही की जाती। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। फिर भी अगर छोटू की मृत्यु का कोई असर प्रकरण पर है तो मात्र इतना कि प्रथम अपील और द्वितीय अपील केवल छोटू के हक तक ही अबैट मानी जा सकती है क्योंकि दोनों ही अपीलों में छोटू के अलावा भी कई प्रत्यर्थीगण है। अतः अपील को पूर्णत अबैट नहीं माना जा सकता हैं।

9. उपरोक्त पेरा 6 से 8 में किये गये विवेचन और उद्धृत न्यायिक नजीरों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2006 विधि अनुकूल है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–10–2006 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10. परिणामतः हस्तगत अपील स्वीकार की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 31–10–2006 को अपास्त किया जाता है और परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2006 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मूलचन्द मीणा) 4/10/11
सदस्य

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य